न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को आर्थिक लाभ पहुँचाना है। इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में आने वाले विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की जाती है तथा श्रमिकों के त्वरित लाभ हेतु प्रत्येक छः माह पर परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अधिसूचित की जाती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के सभी 88 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण दिनांक–01.04.2017 से कर दिया गया है। अनुसूचित नियोजनों में दिनांक–01.04.2017 से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को देय महँगाई भत्ता अधिसूचित किया जा चुका है, जिसके अनुसार सामान्य प्रकृति के नियोजनों के लिए अकुशल श्रेणी के श्रमिको के लिए न्यूनतम मजदूरी रू0 242/= प्रतिदिन एवं कृषि नियोजन के लिए रू0 232/= प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।